भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1584

27 .11 .2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में भारतीय घरेलू नौकर

1584. **डॉ. डी. रविकुमार:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुवैत में घरेलू नौकरों की खरीद-फरोख्त के लिए एप का प्रयोग किया जा रहा है तथा यह और कुछ नहीं बल्कि आधुनिक युग का दास व्यापार है तथा यदि हां, तो खाड़ी देशों में काम कर रही हमारी महिलाओं को उक्त दुर्व्यवहार से बचाने के लिए हमारी सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार के पास कुवैत सहित खाड़ी देशों में घरेलू नौकरों के रूप में काम कर रही हमारी महिलाओं से संबंधित आंकड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) मीडिया में कतिपय रिपोर्टों के अनुसार, कुवैत के लिए घरेलू कामगारों की सेवाएं मांगने के लिए डिजिटल एप का उपयोग किया गया था। कुवैत के कानून मानव तस्करी के विरुद्ध हैं। कुवैत सरकार के संबंधित प्राधिकरण ने मीडिया रिपोर्टों के संबंध में अविलंब प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा ऐसी ऐप के साथ-साथ ऐसी ही अन्य वेबसाइटों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की है। भारतीय मिशन, कुवैत में ऐसी एप के प्रयोग से भारतीय कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुवैत प्राधिकारियों के संपर्क में है। ऐसे माध्यमों के जरिए किसी भी भारतीय पीड़ित का कोई भी मामला मिशन के संज्ञान में नहीं आया है।

सरकार ने खाड़ी देशों में प्रवासी रोजगार के लिए भारतीय महिला कामगारों के उत्प्रवासन को सुरक्षा प्रदान करने और विनियमित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) रोजगार की प्रकृति/श्रेणी के बावजूद ईसीआर पासपोर्ट पर ईसीआर देशों में जाने वाली सभी महिला प्रवासियों (नर्सों को छोड़कर) की आयु 30 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।

(ii) यदि विदेशी नियोक्ता 18 ईसीआर देशों में विदेशी रोजगार के लिए भारतीय भर्ती एजेंटों के माध्यम से ईसीआर पासपोर्ट रखने वाली भारतीय महिला कामगारों की भर्ती करना चाहता है, तो वह ऐसा केवल राज्य द्वारा संचालित किसी भी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से कर सकता है।

वर्तमान में ऐसी नौ एजेंसियां हैं नामत: केरल की नोरका रूट्स ऐण्ड ओवरसीज डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन कंसल्टेंट्स (ओडीईपीसी), तमिलनाडु की ओवरसीज मैनपॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसीएल), उत्तर

प्रदेश की उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी), आंध्र प्रदेश की ओवरसीज मैनपावर कंपनी आंध्र प्रदेश लिमिटेड (ओएमसीएपी), तेलंगाना की तेलंगाना ओवरसीज़ मैनपावर कंपनी लिमिटेड (टीओएमसीओएम), कर्नाटक की कर्नाटक राज्य असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (केयूडब्ल्यूएसएसबी), कर्नाटक और कर्नाटक व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास निगम (केवीटीएसडीसी)।

(iii) विदेशी नियोक्ता को सीधी भर्ती के मामले में संबंधित भारतीय मिशन में प्रत्येक महिला कामगार की भर्ती के लिए 2500 अमरीकी डॉलर के बराबर एक बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

(iv) सभी ईसीआर देशों के संबंध में सभी ईसीआर पासपोर्ट धारक महिला कामगारों की सीधी भर्ती के संबंध में राजदूतावास सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है;

(v) खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के छह देशों के साथ श्रम और जनशक्ति सहयोग समझौता ज्ञापन/करार किए गए हैं जो श्रम संबंधी मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा और समीक्षा करने के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं। श्रम और जनशक्ति सहयोग/ करार के अनुसार, इन देशों में भारतीय घरेलू कामगारों की कार्य-स्थितियों सहित विभिन्न श्रम संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

(ख) और (ग) खाड़ी देशों में घरेलू कामगारों के रूप में काम करने वाली महिलाओं का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए फिलहाल कोई तंत्र नहीं है, क्योंकि इस तरह की श्रेणी के कई कामगार उत्प्रवासन जांच अनपेक्षित (ईसीएनआर) पासपोर्ट धारक हैं और इसलिए भारत से प्रस्थान करने से पहले मंजूरी लेने या पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, महिला घरेलू कामगार पर्यटन वीजा/पारिजनों से मिलने जाने हेतु वीजा के साथ खाड़ी देशों में जा रही हैं और तत्पश्चात वे वहां रोजगार प्राप्त कर लेती हैं। ऐसे मामलों में भी उन्हें मंजूरी लेने या पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ई-माइग्रेट प्रणाली उन उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक महिला घरेलू कामगारों के आकड़ों को एकत्रित करती है, जो उत्प्रवासन मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने के बाद अन्य देश में रोजगार के लिए खाड़ी देशों में जाती हैं।

वर्ष 2015-2019 (31.10.2019) के दौरान छह खाड़ी देशों के लिए ऐसे कामगारों को प्रदान की गई ईसी मंजूरी की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.सं	**देश**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019 (31.10.19)**
1	बहरीन	58	59	51	38	30
2	कुवैत	81	3	0	38	774
3	ओमान	253	179	158	94	85
4	कतर	2	1	0	0	2
5	सऊदी अरब	151	145	75	1	0
6	संयुक्त अरब अमीरात	664	644	529	310	178

****